विशेष वेयर हाऊस (वस्तुओं का अभिरक्षण एवं देख रेख) अमेंडमेंट रेग्युलेशन्स, 2020

अधिसूचना सं. 69/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 14 मई, 2016

अधिसूचना संख्या 77/ 2020-सीमा शुल्क (गै.टे.) □□□□□□□ □□□□□□□

सा. का. नि.   (अ.). - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 58क और धारा 73 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, स्पेशल वेयरहाउस (माल की कस्टडी एंड हैंडलिंग) रेग्युलेशन्स, 2016 में, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - इन विनियमों को विशेष वेयर हाऊस (वस्तुओं का अभिरक्षण एवं देख रेख) अमेंडमेंट रेग्युलेशन्स, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

2. परिभाषा - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है।

(ख) ''बंध पत्र अधिकारी'' से अभिप्राय ऐसे सीमा शुल्क के अधिकारी से है जिसके प्रभार में यह वेयर हाऊस आता है।

(ग) ''प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का नियंत्रक'' से अभिप्राय ऐसे प्राधिकारी से है जिसकी नियुक्ति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत हुई हो।

(घ) ''धारा'' से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा से है;

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जो कि यहां तो प्रयोग किए गए हैं लेकिन परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही होगा जैसा कि इस अधिनियम में इनके लिए निर्धारित किया गया है।

3. वेयर हाऊस कीपर की नियुक्ति - (1) लाइसेंसी इस विनियम के अंतर्गत अपनी ओर से काम करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को वेयर हाऊस कीपर के रूप में नियुक्त करेगा जिसको कि वेयर हाऊस के संचालन और सीमा शुल्क की प्रक्रियाओं में अनुभव हो।

(2) वेयर हाऊस कीपर इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत जरूरी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को भरने के लिए उन प्राधिकारियों से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करेगा जिनको कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के नियंत्रक ने लाइसेंस दिया हो।

4. सुविधाएं उपकरण और कर्मचारी - प्रत्येक लाइसेंसी उस वेयर हाऊस पर जिसके बारे में लाइसेंस जारी किया गया है, निम्नलिखित को उपलब्ध कराएगा,-

(क) ऐसी सुविधा, उपकरण और कर्मचारी जो कि वेयर हाऊस तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त हों और वह इसमें वस्तुओं के सुरक्षित भण्डारण को सुनिश्चित करेगा, जिनमें शामिल हैं,-

i. दरवाजे, खिड़कियाँ और मजबूत निर्माण के लिए अन्य भवन संबंधी घटक;
ii. ऐसी सुविधा जिससे की बांड आधिकारी वहाँ आसानी से ताला लगा सके;
iii. इसतरह के संकेत चिह्न जिससे पता चलता रहे कि यह स्थल या भवन सीमा शुल्क के अंतर्गत बंधक किया गया वेयरहाऊस है।

(ख) पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपकरण और स्थान जिससे कि सीमा शुल्क के अधिकारी वस्तुओं की जांच-परख कर सकें; और

(ग) वस्तुओं की प्राप्ति, भण्डारण, संचालन और उनको हटाने से संबंधित लेखा करण हेतु कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था।

5. **विशेष वेयरहाउसों पर नियंत्रण** : बंधपत्र अधिकारी वेयरहाउस को ताला बंद रखेगा और उसकी उपस्थिति के बिना किसी व्यक्ति को वेयर हाऊस में प्रवेश करने या उसमें माल को जमा करने या वहां से हटाने की अनुमति नहीं होगी।

6. माल की प्राप्ति- (1) लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी की उपस्थिति के बिना वेयर हाऊस में किसी माल को न तो प्राप्त करेगा और न ही उसे उतरवाने की अनुमति देगा।

(2) वेयर हाउस में माल के जमा किये जाने के लिए बंधपत्र अधिकारी के द्वारा अनुमति दिए जाने पर, लाईसेंसी वेयर हाऊस में प्राप्त माल का रिकॉर्ड रखेगा और वेयर हाउस में प्राप्त किये गए ऐसे माल की धारा 60 की उपधारा (1) में उल्लिखित समुचित अधिकारी को, या प्रेषक वेयर हाउस के समुचित अधिकारी को, जैसी भी स्थिति हो, सूचना भिजवाएगा ।

7. दूसरे वेयर हाऊस को माल का स्थानांतरण - (1) वेयर हाऊस से माल के स्थानांतरण से संबंधित फार्म में बंधपत्र अधिकारी से धारा 67 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त किए बिना लाइसेंसी वेयर हाऊस में रखे गए माल को किसी अन्य वेयर हाऊस में स्थानांतरण किए जाने की अनुमति नहीं देगा।

(2) वेयर हाऊस से माल को हटाने के लिए बंधपत्र अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर लेने पर लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी की उपस्थिति में माल को परिवहन के साधन पर लदवाएगा और ऐसे परिवहन के साधन पर वन-टाइम-लॉक लगाएगा।

8. घरेलू खपत के लिए वेयर हाऊस में रखे गए माल को हटाना - (1) लाइसेंसी जब तक कि बंधपत्र अधिकारी से ऐसे माल को हटाने के लिए अनुमति प्राप्त न हो जाए, घरेलू खपत के लिए वेयर हाऊस से वस्तुओं को न तो हटाएगा न हटाने देगा।

(2) वेयर हाउस में रखे गए माल के मालिक के धारा 68 के अंतर्गत यथोचित अधिकारी से प्राप्त आदेश को प्रस्तुत करने पर, लाईसेंसी, बंधपत्र अधिकारी की उपस्थिति में, माल के मालिक को घरेलु खपत के लिए उतनी मात्रा में माल को देगा जितनी मात्रा आगम पत्र में लिखी होगी और उसी आगम पत्र एक प्रति अपने पास रखेगा ।

9. निर्यात के लिए वेयर हाऊस में रखे गए माल को हटाना - (1) लाइसेंसी, जब तक कि बंधपत्र अधिकारी से ऐसे माल को हटाने के लिए धारा 69 के अंतर्गत जारी किया गया आदेश प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वह वेयर हाउस से निर्यात के लिए वस्तुओं को न तो हटाएगा ओ न हटाने देगा ।

(2) बंधपत्र अधिकारी के द्वारा वस्तुओं को वेयर हाऊस से हटाने के लिए अनुमति दिए जाने पर लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी की उपस्थिति में माल को परिवहन के साधन पर लदवाएगा और परिवहन के साधन पर वन-टाइम-लॉक लगाएगा।

10. वेयर हाऊस में रखे गए वस्तुओं से संबंधित कागजातों का रख-रखाव - (1) प्रत्येक लाइसेंसी,-

(क) माल के वेयर हाऊस में प्राप्त करने, देख रेख करने भण्डारण करने या वहां से हटाने, जैसी भी स्थिति हो, से संबंधित विस्तृत रिकॉर्ड रखेगा और उसे जब भी, जैसा भी जरूरी हो बंधपत्र अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ख) वेयर हाऊस में रखे गए वस्तुओं से संबंधित किए गए प्रत्येक कार्य, प्रचालन और कार्रवाई का रिकॉर्ड रखेगा

(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत तथा उसमें लागू किसी भी कानून के अंतर्गत वेयर हाऊस में रखे गए माल से लिए गए नमूनों का रिकॉर्ड रखेगा;

(घ) आगम पत्र, परिवहन दस्तावेज, वेयर हाऊस से माल के स्थानांतरण संबंधित फार्म, शिपिंग बिल या निर्यात बिल या अन्य कोई कागजात, जिससे कि वेयर हाऊस में माल को लाने या वहां से हटाने का साक्ष्य साबित हो, की प्रतियां और धारा 59 के अंतर्गत जारी किए गए बंध पत्र की प्रतियां भी संभाल कर रखेगा।

(2) उप विनियम (1) के अंतर्गत रखे जाने वाले जरूरी सभी कागजातों और बहीखातों को अद्‌यतन एवं शुद्ध रखेगा तथा माल को वेयर हाऊस से हटाए जाने की तारीख से कम से कम 5 वर्ष तक सुरक्षित रखेगा, और किसी भी समय बंधपत्र अधिकारी के द्‌वारा या उसके द्‌वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत किसी और अधिकारी को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा।

(3) लाइसेंसी वेयर हाऊस के अलावा अन्य किसी स्थल पर भी उप विनियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट डिजिटल रिकॉर्ड को अद्‌यतन रूप में सुरक्षित रखेगा जिससे कि यदि प्राकृतिक आपदा, आग, चोरी, जानबूझ कर की गई छेड़छाड़ या कम्प्यूटर के खराब हो जाने पर भी बचाया जा सके।

(4) लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी को वेयर हाऊस में माल के आने, उसका भण्डारण करने प्रचालन या वहां से हटाए जाने से संबंधित मासिक विवरणी को एक विशिष्ट फार्म में तथा इस रिटर्न से संबंधित महीने के समाप्त होने के 10 दिन के भीतर प्रस्तुत किया करेगा।

(5) जहां कि इस अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत वेयर हाऊस में रखे गए माल की अवधि किसी विशेष महीने में समाप्त हो रही है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी को अवधि समाप्त होने वाले महीने के तत्काल पूर्व वाले महीने की 10 तारीख को या उससे पूर्व ऐसी जानकारी प्रदान करेगा।

11. दण्ड - यदि कोई लाइसेंसी इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है या ऐसे प्रावधान का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दण्ड का भागी होगा।

12. छूट देने की शक्ति - बोर्ड द्वारा, वस्तुओं की प्रकृति, उनके परिवहन या भण्डारण के तरीके को देखते हुए किसी भी श्रेणी की वस्तुओं के मामले में इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों से छूट दी जा सकती है।

13. कतिपय मामलों में इस विनियम की अप्रयोज्यता.- इन विनियमों में निहित कोई भी बात ऐसे किसी वेयरहाउस पर लागू नहीं होगी जिन्हें इस अधिनियम की धारा 58क के तहत लाइसेन्स दिया गया हो और वे उक्त अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत कार्यरत हों।